राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश
एन.एच.एम.भवन लिंक रोड नं. 3, पत्रकार कॉलोनी भोपाल(462003)

क्र./एनएचएम/एचआर/सेल–1/2021/6923 भोपाल, दिनांक 17/04/2021

प्रति,

समस्त जिला कलेक्टर
एवं अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति,
मध्यप्रदेश।

विषयः–कोविड–19 महामारी की रोकथाम हेतु जिला कलेक्टर को आवश्यक मानव संसाधन सुनिश्चित करने हेतु शक्ति के प्रत्यायोजन के संबंध में दिशा निर्देश।

सन्दर्भः–संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं के परिपत्र कंमाक आईडीएसपी/2020/288, दिनांक 25/03/2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत कोविड–19 महामारी के बढ़ते हुए प्रकोप के दृष्टिगत नवीन कोविड केयर सेन्टर(सीसीसी), आर.आर.टी./एम.एम.यू आदि की स्वीकृति एवं शासकीय चिकित्सालयों में आईसोलेशन बेड/ऑक्सीजन बेड/आईसीयू बेड/ कोविड केयर सेन्टर/फीवर क्लीनिक / जिला कोविड कमान्ड एण्ड केयर सेन्टर के प्रभावी संचालन हेतु अतिरिक्त आवश्यक मानव संसाधन को आगामी दो माह (दिनांक 30/06/2021) तक अस्थायी रूप से संयोजन हेतु जिला कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति को अधिकृत किया जाता है।

उक्त प्रत्यायोजन के अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य समिति पीजीएमओ /चिकित्सा अधिकारी/आयुष चिकित्सक /दंत चिकित्सक /स्टॉफ नर्स /लैब टेक्निशियन /फार्मासिस्ट/ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/ सफाईकर्मी /सिक्युरिटी इत्यादि को अस्थायी रूप से आगामी दो माह (दिनांक 30/06/2021) तक स्वीकृत कर अस्थायी नियुक्ति कर सकेगी।

उक्त अतिरिक्त मानव ससांधन की अस्थायी नियुक्ति हेतु प्रकिया संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं के परिपत्र कंमाक आईडीएसपी/2020/288, दिनांक 25/03/2020 में जारी निर्देशानुसार अनुसार रहेगी। उक्त के संदर्भ में निम्नानुसार बातो का ध्यान रखा जावेः–

1– उक्त सेवाऐं दो माह तक ली जा सकेगी।

2– उक्त सेवाऐ पूर्ण रूप से अस्थायी होगी तथा इनके आधार पर स्थायी अथवा संविदा नियुक्ति का अधिकार उद्भूत नही होगा।

3– अभ्यार्थियों से आवेदन जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा सीएमएचओ कार्यालय में प्राप्त किये जावेगे।

सपोर्ट स्टॉफ (वार्ड बॉय), क्लीनिंग स्टॉफ, सिक्युरिटी गार्ड को जिलें में पूर्व से कार्यरत आउटसोर्स ऐजेन्सी के माध्यम से कलेक्टर द्वारा निर्धारित दरों पर अस्थायी रूप से दो माह हेतु आवश्यकतानुसार लिया जा सकेगा।

संलग्नः– परिशिष्ट–"अ"– मेडिकल स्टॉफ एवं चिकित्सक की योग्यता व मानदेय।
परिशिष्ट–"ब–अस्थायी नियुक्ति हेतु सामान्य निर्देश।
परिशिष्ट–"स–आवेदन का प्रारूप।

(अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित)

छवि भारद्वाज)
मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

क्र./एनएचएम/एचआर/सेल-1/2021/6924 भोपाल, दिनांक 17 /04/2021

प्रतिलिपिः-

1. अपर मुख्य सचिव,म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ,मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं,मध्यप्रदेश।
3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
4. संचालक वित्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,म.प्र.।
5. अपर संचालक विज्ञप्त/अविज्ञप्त/नर्सिंग संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,म.प्र.।
6. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, एन.एच.एम.,म.प्र.।
7. अपर संचालक, आईडीएसपी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,म.प्र.।
8. उप संचालक आईडीएसपी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,म.प्र.।
9. उप संचालक मानव संसाधन/लीगल/आई.टी. ,एन.एच.एम.,म.प्र.।
10. समस्त क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं,म.प्र.।
11. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,म.प्र.।
12. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक,एनएचएम,म.प्र.।
13. आदेश नस्ती।

मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

परिशिष्ट–"अ"

मेडिकल स्टॉफ एवं चिकित्सक की योग्यता व मानदेय

स.क	पदनाम	योग्यता	मासिक मानदेय प्रतिमाह
1	स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारी (डिग्री / डिप्लोमा) विषय विशेषज्ञ	1. एम.डी. मेडिसिन 2. एम.डी.ऐनेस्थिशिया 3. पलमोनोलॉजिस्ट	1,25,000 / –(डिग्री) 1,10,000 / –(डिप्लोमा)
2	चिकित्सा अधिकारी	एमबीबीएस (मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय) एवं मध्यप्रदेश मेडिकल कौसिंल में जीवित पंजीयन ।	60,000 / –
3	आयुष चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेदिक, यूनानी होम्योपैथिक)	बी.ए.एम.एस / बी.यू.एम.एस. / बी.एच.एम.एस. (मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय) एवं म.प्र. आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में जीवित पंजीयन / म.प्र. होम्योपैथी परिषद में जीवित पंजीयन ।	25,000 / –
4	दंतशल्य चिकित्सक	भारतीय डेंन्टल कॉसिंल (डीसीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त बी.डी.एस. की उपाधि म.प्र. राज्य डेन्टल कौसिंल से स्थायी जीवित वैध पंजीयन। निर्धारित इर्न्टनशिप पूर्ण होने का प्रमाण पत्र।	25,000 / –
5	स्टॉफ नर्स (महिला / पुरूष)	नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षण प्राप्त एवं म.प्र. नर्सिंग कौसिंल में जीवित पंजीयन।	20,000 / –
7	फार्मासिस्ट	1. औषध निर्माण (फार्मेसी) में डिप्लोमा अथवा औषध निर्माण (फार्मेसी) में बी–फार्मा अथवा औषध निर्माण (फार्मेसी) में एम फार्मा तथा म.प्र. फार्मेसी कौसिंल का जीवित पंजीयन	15,000 / –
7	लैब टेक्निशियन	2. पैथलॉजी का 02 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम (डीएमएलटी) अथवा पैथलॉजी का डिग्री पाठ्यक्रम (बीएमएलटी) अथवा पैथलॉजी का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एमएमएलटी) तथा म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन।	15,000 / –

परिशिष्ट–"ब"

:– अस्थायी नियुक्ति हेतु सामान्य निर्देश। :–

1– यह सेवाऐं पूर्ण रूप से अस्थायी होगी एवं आकस्मिक सेवाओं के रूप में ली जा रही है, अतः इन सेवाओं को नियमित अथवा संविदा सेवा के लिये किसी भी दशा में मान्य नही किया जावेगा।

2 –यह सेवाऐं एक निश्चित समयावधि 02 माह की लिए ली जा रही है, जिसे आवश्यकता होने पर बढाया/घटाया जा सकेगा। अतः निर्धारित अवधि पश्चात् आदेश स्वतः समाप्त माना जावेगा।

3– उक्त पदों के नियंत्रणकर्ता अधिकारी जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होगें।

4– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उक्त पदों को आवश्यकतानुसार नियोजित करने के उपरान्त इसकी सम्पूर्ण जानकारी (नाम, पद ,पदस्थापना स्थल आदि) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय में प्रेषित करेगें, जिससे कि मानदेय हेतु बजट राशि उपलब्ध की जा सके।

5 पुनः स्पष्ट किया जाता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा स्वीकृत अस्थायी मानव संसाधन को कार्य पर लेते समय कार्यादेशों में स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाये कि यह किसी भी प्रकार की शासकीय नियुक्ति नही है और ना ही इसके आधार पर कोई स्वत्व उत्पन्न होगें एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा स्वीकृत अस्थायी मानव संसाधन द्वारा ली गई कोई भी सेवाऐं पूर्णतः अस्थायी एवं आकस्मिक सेवाऐं के रूप में ली जा रही है।

6 उपरोक्त समस्त मानव संसाधन को कार्य सौपनें से पूर्व अनिवार्यतः एक दिन का प्रशिक्षण दिया जाना होगा ।

परिशिष्ट–"स"

फोटो

आवेदन का प्रारूप

जिला स्वास्थ्य समिति जिला................म.प्र.
दिनांक ..../........./2021

(स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारी/ चिकित्सा अधिकारी/ आयुष चिकित्सा अधिकारी/दंत चिकित्सक स्टॉफ नर्स (महिला /पुरूष) /फार्मासिस्ट/लैब टेक्निशियन) आदि हेतु आवेदन ।

1. अभ्यर्थी का नाम :	–	....
2. पिता/पति का नाम	–	....
3. जन्मतिथि	–	....
4. वर्ग (सामान्य, अपिव, अजा, अजजा)	–	....
5. घर/पत्र व्यवहार का पता	–	....
6. आधार कार्ड	–	....
7. योग्यता /अर्हता	–	....
8. प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	–	....
9. जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र	–	....
10. ई–मेल	–	....
11. मोबाईल नंबर	–	....

सेवा शर्तेः–

1. यह सेवाएँ पूर्ण रूप से अस्थायी होगी एवं आकस्मिक सेवाओं के रूप में कोविड–19 के नियंत्रण हेतु ली जा रही है, अतः इन सेवाओं को नियमित अथवा संविदा सेवा के लिये किसी भी दशा में मान्य नही किया जावेगा।
2. यह सेवाऐं एक निश्चित समयावधि 02 माह(दिनांक 30/06/2021) के लिए ली जा रही है, जिसे आवश्यकता होने पर बढाया/घटाया जा सकेगा। अतः निर्धारित अवधि पश्चात् आदेश स्वतः समाप्त माना जावेगा।
3. उक्त पदों के नियंत्रणकर्ता अधिकारी जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होगें।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं मेडिकल फिटनेस सार्टिफिकेट उपलब्ध कराकर सेवाप्रदाता कार्य दायित्व संभालेगें।

दिनांकः–.......

नोटः– अभिलेखों की स्वंय सत्यापित प्रति संलग्न

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर